ओमी पुरोहित
राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा
रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
उत्तरी–पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर–302 005
फोन नं. : 0141–2227742 (का.)
फैक्स नं. : 0141–2227738
E-mail : rshrc@raj.nic.in Website : www.rshrc.nic.in
Rajasthan State Human Rights Commission
North-West Government Secretariat, Jaipur-302005
Phone : +91-141-2227742 (O), +91-141-2703553 (R)
Mobile : +91-9414268009

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05 मार्च, 2020

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधि संकाय से संबंधित विद्यार्थियों की इंटर्नशिप दिनांक 11 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक कराने का निश्चय राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था।

उक्त इंटर्नशिप राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आयोजित की जानी थी। इसमें देश के विभिन्न भागों यथा – दिल्ली, जोधपुर, पुणे, बंगालुरु, चण्डीगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं जयपुर स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से विधि संकाय के लगभग 350 विद्यार्थियों को भाग लेना था एवं इस आयोजन हेतु विषय विशेषज्ञों एवं विभिन्न विभागों के कार्यालय कर्मियों सहित लगभग 100–150 व्यक्तियों को भाग लेना संभावित था। किन्तु आयोग को दूरभाष के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार के इंटर्नशिप/आयोजन को फिलहाल स्थगित रखा जावे क्योंकि देश के विभिन्न भागों से विधि विद्यार्थियों का आना प्रस्तावित है एवं इतने व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय न्यायाधिपति महेशचन्द्र शर्मा, सचिव एवं रजिस्ट्रार श्री ओमी पुरोहित, आयोग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अशोक राठौड़, उप सचिव सीमा शर्मा, वर्तिका अरोड़ा, प्रिंसिपल, कानोड़िया लॉ कॉलेज, आरती शर्मा, रेक्टर, पंचवर्षीय लॉ कालेज एवं दीक्षा शर्मा प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय की एकमत से यह राय है कि इस प्रकार के आयोजन/इंटर्नशिप को फिलहाल स्थगित रखा जावे।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दिनांक 11 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक की प्रस्तावित आयोजन/इंटर्नशिप को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जाना उपयुक्त है। अतः निर्देशानुसार उक्त आयोजन/इंटर्नशिप को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जाता है। सभी संबंधित एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को जरिये ई–मेल सूचना दी जावे।

5/3/2020
ओमी पुरोहित
रजिस्ट्रार